कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक
म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल

प्रकाश एवं विकास
निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल. 462023
फोन ऑफिस 0755–2678377 फैक्स – 2589821

क्रमांक/अप्रस/म.क्षे./वाणि./ 1025 भोपाल दिनांक 8.09.11

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक (भो0क्षे0/ग्वा0क्षे0),
म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0,
भोपाल/ग्वालियर ।

विषयः–स्थाई/अस्थाई विच्छेदित घरेलू एवं गैर घरेलू 5 किलोवाट (शासकीय अर्द्ध शासकीय को छोड़कर) तथा ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं हेतु सुविधा योजना।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्थाई/अस्थाई विच्छेदित घरेलू, गैर घरेलू 5 किलोवाट भार तक (शासकीय अर्द्ध शासकीय को छोड़कर) तथा ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं हेतु सुविधा योजना लागू करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना 31/03/2012 तक प्रभावशीन रहेगी अर्थात योजना का लाभ लेने के लिए दिनांक 31/03/2012 तक आवेदन प्रस्तुत कर, विकल्प एक अथवा विकल्प दो के तहत औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा। योजना में दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से पालन करने हेतु पुनः उल्लेख किया जा रहा है।

<u>दिशा–निर्देश</u>

I. उपरोक्त योजना का लाभ उपभोक्ताओं को योजना अवधि में केवल एक बार उपलब्ध होगा। उपरोक्त योजना के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र के उप महाप्रबंधक को होगा।

II. योजना अवधि (31/03/2012 तक) में जो भी प्रस्ताव आयेगें, इस योजना का लाभ उनके लिये लागू होगा तथा योजना अवधि के पश्चात यह योजना समाप्त समझी जावेगी। योजना अवधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हर स्थिति में योजना समाप्ति दिनांक के अंदर ही करना होगा। विकल्प दो के तहत प्रदान की गई किश्त का अंतिम भुगतान 30 जून 2012 तक ही सीमित रहेगा।

III. इच्छुक उपभोक्ता से नियमित मासिक बिल के अतिरिक्त किश्तों की राशि भी जमा करायी जा सकती है।

IV. उपरोक्त योजना में माफ की जाने वाली सरचार्ज की राशि को आर0एम0एस0 मे लागू प्रोग्राम के तहत ही छूट दी जायेगी तथा किसी भी प्रकार से सी0सी0बी0 के माध्यम से छूट नहीं दी जायेगी।

V. योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा अलग रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रकरण की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी। आवेदन के स्थाई/अस्थाई विच्छेदन की

जानकारी तथा अन्य संबंधित जानकारी संबंधित अधिकारी को न होने पर उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

VI. इस योजना के लागू होने पर, इस कार्यालय के पत्र कमांक अप्रसं/मक्षे/वाणिज्य/615 दिनांक 16/09/09 द्वारा नोटीफाइट झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं के लिए जारी योजना स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगी।

प्रचार–प्रसार

योजना को सफल बनाने के लिए निम्न कार्यावाही की जावेः–

1. योजना संबंधी जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से लिखित में दी जाए। योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत स्तर तक योजना संबंधी जानकारी भेजी जाए।
2. योजना संबंधी विवरण की मुद्रा (Seal) बनवाकर, प्रत्येक 5000/– या अधिक पात्र बकायादार उपभोक्ताओं के मासिक बिल पर लगाई जाए।
3. क्षेत्रीय लाईन मेनों को बकायादारेां की सूची उपलब्ध कराकर बकायादारों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए एवं उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. समस्या निवारण शिविरों में भी इस योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
5. पंपलेट वितरण कराया जाए।

मासिक प्रगति से इस कार्यालय को संलग्न प्रपत्र में अवगत कराया जाए।

संलग्नः–योजना की प्रति

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक, (संचा/संधा.), म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0 ––––––––––––––––––।
2. उप महाप्रबंधक (शहर/संचा0, संधा0) संभाग म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0 ––––––––––।

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

<u>सुविधा योजना</u>

विषयः—स्थाई/अस्थाई विच्छेदित घरेलू , गैर घरेलू 5 किलोवाट भार तक (शासकीय अर्द्ध शासकीय को छोड़कर) तथा ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं हेतु सुविधा योजना।

म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0 के कार्य क्षेत्र में अनेक घरेलू उपभोक्ताओं एवं गैर घरेलू (5 किलोवाट) एवं ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी (10 किलोवाट) के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की बकाया राशि भुगतान न कर पाने के कारण स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित है। उपरोक्त उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, गरीब तबके/ग्रामीण क्षेत्र से है जो कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे है। अतः कंपनी ने इन बंद निम्न दाब उपभोक्ताओं जो कि विद्युत प्रदाय लेना चाहते है, राहत देने हेतु एक विशेष सुविधा योजना तैयार की गई है जो कि 31 मार्च 2012 तक प्रभावशील रहेगी। अतः योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 31/03/2012 तक आवेदन प्रस्तुत कर, विकल्प एक अथवा विकल्प दो के तहत औपचारिकताएं पूर्ण करना होगी। योजना का विवरण निम्नानुसार हैः—

(अ) ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ता

<u>1.विकल्प—एक</u>

I. स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी (10 किलोवाट) के उपभोक्ता यदि विद्युत कनेक्शन/पुर्नसंयोजन चाहते है तो उनके कनेक्शन चालू किये जा सकते है यदि वे स्थाई/अस्थाई विच्छेदन की दिनांक 31/08/11 तक मूल बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करते है तो उन्हें इस राशि पर जोड़ी गई सरचार्ज की पूर्ण राशि मॉफ की जायेगी।

II. भुगतान के पश्चात कनेक्शन पुर्नसंयोजित कर दिया जावेगा। कनेक्शन पुर्नसंयोजित करने से पूर्व योजना में सम्मिलित उपभोक्ता द्वारा रिकनेक्शन चार्ज का नगद भुगतान करना होगा।

III. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

<u>2.विकल्प—दो</u>

I. उपरोक्त स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाया राशि सरचार्ज सहित का भुगतान अधिकतम 10 समान किस्तों में भी कर सकते है। अंतिम किश्त की अवधि 30 जून 2012 के पश्चात नहीं होगी।

II. उपभोक्ताओं को कनेक्शन पुर्नसंयोजित करने से पूर्व बकाया राशि की प्रथम किस्त एवं रिकनेक्शन चार्ज का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

III. आगामी किश्तों का भुगतान चालू मासिक विद्युत खपत के साथ देय होगा। बकाया राशि की निर्धारित किश्तों के भुगतान में चूक होने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा, एवं योजना की सुविधा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

IV. उपरोक्तानुसार किश्तों के लगातार पूर्ण भुगतान करने पर, पूर्व बकाया राशि में सम्मिलित सरचार्ज की 75 प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी।

(ब) स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित घरेलू उपभोक्ता

1.विकल्प–एक

I. उपरोक्त स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित घरेलू उपभोक्ता यदि विद्युत कनेक्शन लेना/पुर्नसंयोजन चाहते है तो उनके कनेक्शन चालू किये जा सकते है। स्थाई/अस्थाई विच्छेदन की दिनांक 31/08/11 तक मूल बकाया राशि को एक मुश्त भुगतान करते है तो उन्हें इस राशि पर जोड़ी गई सरचार्ज की पूर्ण राशि मॉफ की जायेगी।

II. उपरोक्त भुगतान के पश्चात कनेक्शन पुर्नसंयोजित कर दिया जावेगा। कनेक्शन पुर्नसंयोजित करने से पूर्व योजना में सम्मिलित उपभोक्ता द्वारा रिकनेक्शन चार्ज का नगद भुगतान करना होगा।

III. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

2.विकल्प–दो

I. उपरोक्त स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित घरेलू उपभोक्ता यदि विद्युत कनेक्शन लेना चाहते है तो वे बकाया राशि का भुगतान अधिकतम 10 समान किश्तों में भी कर सकते है। अंतिम किश्त की अवधि 30 जून 2012 के पश्चात नहीं होगी।

II. उपभोक्ताओं को पुर्नसंयोजन के पूर्व बकाया राशि की उपरोक्तानुसार प्रथम किश्त के साथ रिकनेक्शन चार्जेज का भुगतान करना होगा। 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

III. आगामी किश्तों का भुगतान चालू मासिक विद्युत खपत के साथ देय होगा। बकाया राशि की निर्धारित किश्तों के भुगतान में चूक होने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा, एवं योजना की सुविधा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

IV. उपरोक्तानुसार किश्तों के लगातार पूर्ण भुगतान करने पर पूर्व बकाया राशि में सम्मिलित सरचार्ज की 75 प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी।

(स) स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित गैर–घरेलू (5 किलो वाट तक) उपभोक्ता शासकीय/अर्द्धशासकीय उपभोक्ताओं को छोड़कर

1.विकल्प–एक

I. उपरोक्त स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित गैर घरेलू श्रेणी (5 किलोवाट) के उपभोक्ता यदि विद्युत कनेक्शन लेना/पुर्नसंयोजन चाहते है तो उनके कनेक्शन चालू किये जा सकते है। स्थाई/अस्थाई विच्छेदन की दिनांक 31/08/11 तक मूल बकाया राशि को एक मुश्त भुगतान करते है तो उन्हें इस राशि पर जोड़ी गई सरचार्ज की पूर्ण राशि मॉफ की जायेगी।

II. उपरोक्त भुगतान के पश्चात कनेक्शन पुर्नसंयोजित कर दिया जावेगा। कनेक्शन पुर्नसंयोजित करने से पूर्व योजना में सम्मिलित उपभोक्ता द्वारा रिकनेक्शन चार्ज का नगद भुगतान करना होगा।

III. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

2.विकल्प–दो

I. उपरोक्त स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित गैर घरेलू उपभोक्ता यदि विद्युत कनेक्शन लेना चाहते है तो वे बकाया राशि का भुगतान अधिकतम 10 समान किश्तों में भी कर सकते है। अंतिम किश्त की अवधि 30 जून 2012 के पश्चात नहीं होगी।

II. उपभोक्ताओं को पुर्नसंयोजन के पूर्व बकाया राशि की उपरोक्तानुसार प्रथम किश्त के साथ रिकनेक्शन चार्जेज का भुगतान करना होगा। 45 दिनों की अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधी जमा करनी होगी।

V. आगामी किश्तों का भुगतान चालू मासिक विद्युत खपत के साथ देय होगा। बकाया राशि की निर्धारित किश्तों के भुगतान में चूक होने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा, एवं योजना की सुविधा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

III. उपरोक्तानुसार किश्तों के लगातार पूर्ण भुगतान करने पर पूर्व बकाया राशि में सम्मिलित सरचार्ज की 75 प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी।

दिशा–निर्देश

I. उपरोक्त योजना का लाभ उपभोक्ताओं को योजना अवधि में केवल एक बार उपलब्ध होगा। उपरोक्त योजना के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र के उप महाप्रबंधक को होगा।

II. योजना अवधि में जो भी प्रस्ताव आयेगें, इस योजना का लाभ उनके लिये लागू होगा तथा योजना अवधि के पश्चात यह योजना समाप्त समझी जावेगी। योजना अवधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हर स्थिति में योजना समाप्ति दिनांक के अंदर ही करना होगा।

III. उपरोक्त योजना में माफ की जाने वाली सरचार्ज की राशि को आर0एम0एस0 मे लागू प्रोग्राम के तहत ही छूट दी जायेगी तथा किसी भी प्रकार से सी0सी0बी0 के माध्यम से छूट नहीं दी जायेगी।

IV. योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा अलग रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रकरण की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी। आवेदन के स्थाई विच्छेदन की जानकारी तथा अन्य संबंधित जानकारी संबंधित अधिकारी को न होने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

V. इस योजना के लागू होने पर, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक अप्रसं/मक्षे/वाणिज्य/615 दिनांक 16/09/09 द्वारा नोटीफाइट झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के स्थाई/अस्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं के लिए जारी योजना स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगी।

संलग्नः–आवेदन

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.भोपाल

विषयः—स्थाई/अस्थाई विच्छेदित घरेलू एवं गैर घरेलू 5 किलोवाट (शासकीय अर्द्ध शासकीय को छोड़कर) तथा ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं हेतु सुविधा योजना।

आवेदन—पत्र

प्रति,

कनिष्ठ अभियंता,
——————————वितरण केंद,
म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0,
——————————————

महोदय,

स्थाई/अस्थाई विच्छेदित घरेलू एवं गैर घरेलू 5 किलोवाट (शासकीय अर्द्ध शासकीय को छोड़कर) तथा ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी 10 किलोवाट के उपभोक्ताओं के डिसकनेक्टेड कनेक्शनों की बकाया राशि भुगतान हेतु ''सुविधा योजना'' की शर्ते व नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। इस सुविधा योजना में, मैं सम्मिलित हूँ। मेरे कनेक्शन से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः—

1) उपभोक्ता का नामः——————————————————————————————

2) ग्रामः———————————पोस्ट———————————विकासखंड——————————————

3) वितरण केंद्र का नामः——————————————————————————

4) कनेक्शन कमांक :——————————————————————————————

5) दिनांक 31/08/11 की स्थिति में ————————ऊर्जा प्रभार व अधिभार सहित कुल बकाया राशि का विवरण।

6) मैं योजना में दिये गये यथा—विकल्प—एक/विकल्प —दो के अनुसार भुगतान करने में सहमत हूँ।

स्थान——————————
दिनांक————————— **उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर**

---

1) उपभोक्तओं का नाम श्री——————————————आत्मज श्री——————————————
2) विद्युत कनेक्शन कमांक ——————————————ग्राम——————————————————

विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि में भुगतान हेतु सुविधा योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे पंजीकृत कर कमांक ————————पर अंकित किया गया है एवं यह दिनांकित पावती जारी की जा रही है।

वितरण केंद के प्रभारी के हस्ताक्षर